दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 09 जून 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 249

महत्वपूर्ण एवं खास

सरकार महामारी से प्रभावित बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर लगाएं रोक : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोरोना वायपस महामारी से प्रभावित बच्चों को गोद लेने संबंधी अहम निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा महामारी से प्रभावित बच्चों की पहचान का खुलासा कर फंड इकट्ठा करने और उन्हें गोद लेने के लिए इच्छुक लोगों को आमंत्रित करने से रोका जाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवैध गतिविधि में शामिल एजेंसियों या व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने पाया कि अनाथों को गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है क्योंकि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीआईआरए) की भागीदारी के बिना ऐसी किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गुप्ता ने बताया कि लोगों को अनाथों को गोद लेने के लिए आमंत्रित करने वाले कई विज्ञापन सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के पोस्ट देखने को मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनमें से ज्यादातर पोस्ट फर्जी थे।

अब कोवैक्सीन लगवाने वाले भी जा सकेंगे विदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के साथ ही प्रसार को रोकने के लिए कई देश ने भारत से आने वाले विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध लगाने वाले मुल्कों में कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड जैसे कई देश शामिल हैं, लेकिन अब विदेश में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब कोवैक्सीन टीका लेने वालों के लिए जुलाई-सितंबर तक विदेश जाने का रास्ता खुल सकता है। दरअसल कोवैक्सीन निर्माता कंपनी ने आपात इस्तेमाल के लिस्ट में कोवैक्सीन को शामिल करने के लिए डब्ल्यूएचओ जिनेवा को आवेदन दिया है। इस आवेदन के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि जुलाई-सितंबर 2021 तक कोवैक्सीन टीका लगवाने वालों को विदेश जाने की अनुमति मिल सकती है।

सुनील शेट्टी ने शुरू की नई पहल दवा भी दुआ भी

मुंबई (आरएनएस)। बॉलीवुड के माचो मैन सुनील शेट्टी ने कोरोना संकट के समय ने एक नई पहल दवा भी दुआ भी शुरू की है जिसके तहत जरूरतमंद मरीजों तक मुफ्त में सही दवाइयां पहुंचेंगी। बॉलीवुड के कई स्टार्स कोरोना संकट के समय लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद में लगे हुए हैं। सुनील शेट्टी ने जरूरतमंद लोगों के लिए नई पहल शुरू की है। सुनील की नई पहल का नाम दवा भी दुआ भी है। जिसके द्वारा जरूरतमंद लोगों तक सही दवाइयां पहुंचेगी। सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी नई पहल दवा भी दुआ भी के बारे में लोगों को बताया है। वीडियो में सुनील शेट्टी ने कहा, एक कम्युनिटी से बड़ी कोई ताकत नहीं है, बदलाव लाने की जो खोज रही है कि उसे क्या चाहिए। मैं दवा भी दुआ भी का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं, यह एक पहल है जो बीडीआर फार्मा और मेरी टीम एफटीसी टैलेंट ने शुरू की है।

सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई-कंटेंट का विकास करने के लिए दिशा निर्देश किए जारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई-कंटेंट का विकास करने के संबंध में आज दिशा निर्देश जारी किए जाने को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री ई-विद्या नाम की एक व्यापक पहल 17 मई, 2020 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य डिजिटल/ ऑनलाइन/ ऑन एयर शिक्षा के संबंध में किए जा रहे सभी प्रयासों को एकीकृत करना था। इस पहल का लक्ष्य अन्य बातों के अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रकार का ई-कंटेंट विकसित करना था। इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जो इन विशेष बच्चों के लिए ई-कंटेंट का विकास करने के लिए दिशा निर्देशों की

सिफारिश करे।

इस तरह, पहली बार सीडब्ल्यूडी यानी विशिष्ट ज़रूरतों वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए दिशा निर्देश बनाने का प्रयास किया गया ताकि समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस समिति ने गाइडलाइंस फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ई-कंटेंट फॉर चिल्ड्रेन विद डिसएबिलिटीज़ शीर्षक अपनी रिपोर्ट जमा की जिसमें 11 खंड और दो परिशिष्ट थे। शिक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को शेयर किया, प्रस्तुत किया, इस पर विचार किया और फिर स्वीकार किया।

❐ **इस रिपोर्ट में ई-कंटेंट दिशानिर्देशों के बारे में मुख्य बातें-** सीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए ई-कंटेंट का विकास चार सिद्धांतों = समझने योग्य, लागू किए जाने योग्य, समझ में आने योग्य तथा सुदृढ़ता के आधार पर किया जाए ।

सभी पाठ, पहाड़े, आकृतियां, दृश्य (विजुअल्स), श्रव्य (ऑडिओ) आदि समेत सभी तरह का ई-कंटेंट अभिगम्यता (पहुंच बनाने वाले) स्तर, राष्ट्रीय स्तर (जीआईजीडब्ल्यू 2.0) और अंतर्राष्ट्रीय स्तर (डब्ल्यूसीएजी2.1 ,ई-पब, डेज़ी आदि) के होने चाहिए।

जिस वितरण प्लेटफार्म पर इसे अपलोड किया जाएगा (दीक्षा आदि) तथा पठन पाठन प्लेटफार्म उपकरण, जिसपर कंटेट तक पहुंच बनेगी और संवाद होगा (ई-पाठशाला) को तकनीकी मानकों के अनुरूप बनाना होगा ।

सीडब्ल्यूडी बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उचित शैक्षणिक आवास बनाने की भी सिफारिश की गई।

तकनीकी मानकों और दिशानिर्देशों का विवरण रिपोर्ट के खंड 4 में दिया गया है।

समिति ने यह सिफारिश भी की कि धीरे धीरे पाठ्य पुस्तकों को सुगम्य डिजिटल पाठ्यपुस्तकों (एडीटीज़)में बदल दिया जाए। इन एडीटीज़ का कंटेंट कई प्रकार के फॉर्मेट जैसे पाठ, श्रव्य, दृश्य, वीडियो और सांकेतिक भाषा आदि में दिया जाए जिसमें टर्न आन और टर्न ऑफ जैसी सुविधाएं भी हों । इसके अलावा एडीटी को सीडब्ल्यूडी को अपनी सामग्री/अभ्यास का कई तरीकों से जवाब देने के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहिए। हाल के एनसीईआरटी के अनुभव सहित प्रोटोटाइप के विकास में मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुभव के साथ एडीटी विकसित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश= बरखा= सभी के लिए एक रीडिंग सीरीज़ (प्रिंट और डिजिटल रूपों में), सभी के लिए एक्सेसिबल टेक्स्टबुक और यूनिसेफ की एक्सेसिबल डिजिटल टेक्स्टबुक सीखने के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन का उपयोग करने (दिव्यांग तथा अन्य शिक्षार्थियों के लिए) के बारे में रिपोर्ट के खंड 5 में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

एडीटी के अलावा, धारा 6 से 9 में समिति ने बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं, एकाधिक दिव्यांगताओं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, विशिष्ट शिक्षा की ज़रूरत वाले छात्रों, दिव्यांगता, अंधापन, कम दृष्टि, बहरापन और सुनने में कठिनाई और अन्य के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में निर्दिष्ट 21 अक्षमताओं के अनुसार पूरक ई-सामग्री के विकास के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों की सिफारिश की है।

सामग्री निर्माताओं, सामग्री डिजाइनरों, डेवलपर्स, प्रकाशकों के साथ व्यापक रूप से साझा करने के लिए रिपोर्ट की धारा 10 में सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

अभिगम्यता दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुदृढ़ करने के सुझावों के साथ कार्यान्वयन रोडमैप रिपोर्ट की धारा 11 में प्रस्तुत किया गया है।

भक्तों के लिए 53 दिन बाद खुला बाबा विश्वनाथ का दरबार

» अब बिना कोरोना रिपोर्ट के श्रद्धालु कर रहे है दर्शन

वाराणसी (आरएनएस)। भोले भंडारी की नगरी काशी में भक्तों के दर्शन हेतु आज सुबह से ही बाबा विश्वनाथ मंदिर का कपाट आम भक्तों के लिए खुल गया। मंदिर का दरबार खुलने के साथ ही शिवभक्त अपने आराध्य के दर्शन पाने को मंदिर पहुंच गए। भोले-बम-बम, हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ भक्त मंदिर प्रबंधन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं अब भक्त बिना कोविड-19 आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बाबा के दर्शन कर सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी, जिसके चलते बीती 15 अप्रैल के बाद मंदिर में भक्तों के प्रवेश को रोक लगा दिया गया था। मंगलवार सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर अपनी मुराद पूरी करने की अभिलाषा लिए भक्त मंदिर पहुंच गए। मंदिर प्रबंधन समिति ने कोरोना गाइड लाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया। मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए गोल घेरे के अन्दर खड़ा किया गया है, उनके हाथों का सैनिटाइज टाइज करते हुए उनके बॉडी तापमान भी मापा जा रहा है। बिना मास्क लगाये मंदिर में प्रवेश नही मिलेगा, वही एक समय में 5 भक्त ही मंदिर में प्रवेश पा सकेंगे। भक्त मंदिर की दीवार या किसी भी मूर्ति या किसी वस्तु को छूने पर रोक लगाई हुई है, श्रद्धालु दर्शन के लिए बनाए गए नियमों का पालन करते हुए बाबा को दूर से ही जल चढ़ा सकते हैं।

आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी राज्यों को वैक्सीन

» दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता

» देश में लागू हुई नई टीकाकारण नीति

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75 फीसदी वैक्सीन खरीद कर मुफ्त में राज्यों को देगी। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत दवा बनाने वाली कंपनियां ही तय

करेंगी।

केंद्र की तरफ से राज्यों को जितनी वैक्सीन मिलेंगी, उसके हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन बाटेंगी। यहां स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे ऊपर होंगे। इसके बाद 45 उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें दूसरी खुराक मिलनी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंत में 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने का नंबर आएगा। 18+ लोगों को वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को खुद से प्राथमिकता तय करनी होगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि केंद्र राज्यों को जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार की ओर से जारी इन दिशानिर्देशों के मुताबिक केंद्र राज्य सरकार को पहले ही बता देगी कि कितने डोज मिलने वाले हैं। इसी हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन का वितरण करेंगी और आखिर में जिलों और वैक्सीनेशन केंद्रों की ओर से जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बता दें कि पुरानी नीति के मुताबिक केंद्र सरकार 50 फीसदी वैक्सीन खरीदती थी लेकिन अब 75 फीसदी खरीदेगी। पुरानी नीति के मुताबिक 25 फीसदी राज्यों को वैक्सीन खरीदनी होती थी लेकिन नई नीति के मुताबिक, राज्य अब वैक्सीन नहीं खरीदेंगे।

प्रधान मंत्री के एलान के बाद एक्शन में सरकार

» कोराना वैक्सीन के 44 करोड़ डोज के लिए दिया ऑर्डर

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस यानी 21 जून से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन केंद्र सरकार वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक्शन के मूड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवाक्सिन शामिल हैं। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30

फीसदी रकम एडवांस में ही जारी कर दी है।

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार ने जैविक ई के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगा। पॉल ने आगे कहा कि निजी क्षेत्रों (अस्पतालों) के लिए टीकों की कीमत वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तय की जाएगी। वहीं राज्य निजी क्षेत्र द्वारा कुल मांग की निगरानी करेंगे। जिसका अर्थ है कि वे देखेंगे कि उसके पास सुविधाओं का कितना नेटवर्क है, और उसे कितनी खुराक की आवश्यकता है। वहीं जब डॉ वीके पॉल से पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने एससी के फैसले के बाद टीकाकरण के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं। इसपर पॉल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत सरकार 1 मई से विकेंद्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी। ऐसे निर्णय विश्लेषण और परामर्श के आधार पर निश्चित समय की अवधि में लिए जाते रहे हैं।

तीसरी लहर से नहीं होगा बच्चों को कोई खतरा

एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर कहर की आशंकाओं को खारिज किया है। किसी भारतीय या ग्लोबल स्टडी में ऐसी बात नहीं कही गई है कि बच्चों पर ज्यादा असर हो रहा है। यहां तक कि दूसरी लहर में भी जो बच्चे संक्रमित हुए, उनमें मामूली लक्षण ही थे। इसके अलावा कुछ और बीमारियों के चलते उनकी गंभीरता बढ़ गई थी। एम्स के निदेशक ने राहत की उम्मीद बंधाते हुए कहा कि मैं नहीं मानता कि भविष्य में भी बच्चों पर कोरोना का कोई गंभीर असर होगा। कई एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर में बच्चों पर असर की आशंका जताई है। ऐसे में एम्स के निदेशक की ओर से ऐसी आशंकाओं को खारिज किया जाना बड़ी राहत देने जैसा है।

उप राष्ट्रपति ने चार सदस्यों को दिलाई राज्यसभा सदस्य की शपथ

» भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता समेत चार बने राज्यसभा सांसद

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मंगलवार को भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता और तीन अन्य को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इनमें भाजपा ने ता स्वपन दासगुप्ता गुप्ता भी शामिल हैं।

राज्यसभा सचिवालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वपन दासगुप्ता के पुन= राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। वहीं मनोनीत किये गये सदस्यों में जानेमाने वकील रामजेठमलानी के सुपुत्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के अलावा पत्रकार जॉन ब्रिटास और माकपा नेता वी शिवदासन शामिल है, जिन्हें सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदस्यता और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राज्यसभा के लिए फिर से नामांकन पर स्वपन दासगुप्ता ने बुधवार को कहा था कि वह पश्चिम बंगाल के मुद्दों को उजागर करने और देश में शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कार्यकाल का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। दासगुप्ता ने कहा कि राज्यसभा के लिए मुझे फिर से नामित करने के लिए वह राष्ट्रपति के आभारी हैं।

टीके फ्री हैं तो पैसे क्यों ले रहे निजी अस्पताल : राहुल

» नई वैक्सीन पॉलिसी पर तंज कर फंसे राहुल

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुफ्त वैक्सीन देने की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रास नहीं आया और पीएम मोदी की आलोचन के आदतन राहुल गांधी हमलावार नजर आए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा कि जब वैक्सीन फ्री है तो निजी अस्पतालों में इसके लिए पैसे कैसे ले सकते हैं। इसमें वह यह भी भूल गये कि सर्विस चार्ज लिया जाता है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र सरकार

पर हमलावर हो गए। उन्होंने एक ट्वीट में सरकार से सवाल दाग दिया है कि अगर वैक्सीन फ्री है तो निजी अस्पताल पैसे क्यों ले रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा- एक सीधा सा सवाल- अगर वैक्सीन सभी के लिए फ्री है तो निजी अस्पताल इसके लिए पैसे कैसे ले सकते हैं?

❐ **कांग्रेस को ही ट्रोल कर रहे राहुल-** राहुल के इस सवाल पर कांग्रेस नेता हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा कर लिखा है कि राहुल गांधी सबसे पूछ रहे हैं कि अगर वैक्सीन फ्री है तो निजी अस्पताल पैसे क्यों ले रहे हैं? क्या ये पंजाब में अपनी ही पार्टी की सरकार को ट्रोल कर रहे हैं? गौरतलब है कि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान गड़बड़ी कर भारी मुनाफा कमाने के आरोप लग रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों पंजाब के कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचने को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे थे।

देश में कोरोना संक्रमण का दैनिक आंकड़ा एक लाख से कम

» 24 घंटे में 86,498 नए मामले , 2123 मरीजों ने गंवाई जान

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में दूसरी लहर के कहर के बाद 24 घंटे में एक लाख से कम दैनिक मामले दर्ज किये गये। कोरोना की दूसरी लहर देश में अप्रैल और मई माह पर इतनी भारी पड़ी कि एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा चार लाख के आंकड़े को पार कर गया था, लेकिन मई में अंतिम सप्ताह में इस आंकड़े में गिरावट आती रही, लेकिन मौतों के तांडव ने देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि पिछले एक दिन में संक्रमण से मौतों का आंकड़ा ढाई हजार से कम रहा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 86,498 नए मामले सामने आये, जो पिछले 63 दिन में सबसे कम एक लाख से कम मामले दर्ज किये गये है, इससे पहले दो अप्रैल को 24 घंटे में 81,466 नए मामले सामने आए थे। इस प्रकार देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,89,96,473 हो गई है। वहीं इस दौरान 47 दिन बाद 2,123 संक्रमण से मौत के आंकड़ों में कमी आई। इस प्रकार देश में संक्रमण से मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,51,309 हो गई। कोविड-19 के एक लाख से कम मामले सामने आए और नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर भी गिरकर 4.62 प्रतिशत हो गई है। दूसरी लहर की पीक अब खत्म हो चुकी है और अब दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी।

❐ **पॉजिटिविटी रेट गिरकर 4.62 फीसदी-** आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल 36,82,07,596 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 18,73,485 नमूनों की जांच सोमवार को की गई। नमूनों के संक्रमित आने की दर भी गिरकर 4.62 प्रतिशत हो गई। पिछले 15 दिन से संक्रमण की दैनिक दर 10 प्रतिशत से कम बनी है। वहीं, संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 5.94 प्रतिशत हो गई है।

❐ **15 लाख से कम हुए सक्रिय मामले-** मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 13,03,702 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.50 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 97,907 की गिरावट आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 94.29 प्रतिशत है

❐ **रिकवरी रेट में जबरदस्त सुधार-** स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 मामले दर्ज किए गए थे, वे अब 1 लाख से भी कम हो गए हैं। अग्रवाल ने कहा कि 4 मई को देश में 531 ऐसे जिले थे, जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे जिले अब 209 रह गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति तेजी से सुधर रही है। लव अग्रवाल ने कहा कि 3 मई को देश में रिकवरी दर 81.8 फीसदी थी अब रिकवरी दर 94.3 फीसदी हो गई है।